

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल:-

पूर्व सेवा कर्मियों हेतु हवाई/रेल यात्रा एवं सैनिक आरामगाह में ठहरने की व्यवस्था

प्र. 1 पूर्व सेवाकर्मी हेतु हवाई यात्रा पर रियायत संबंधी अधिकार क्या हैं?

उत्तर: पूर्व सेवाकर्मियों को बेस फेयर पर 50 प्रतिशत की रियायत।

प्र. 2 पूर्व सेवाकर्मियों के लिए रेल यात्रा पर प्रधिकृत रियायत क्या हैं?

उत्तर: कुछ नहीं।

प्र. 3 विभिन्न मूवमेंट कंट्रोल ऑफिसेज में ईएसएम हेत प्रधिकृत डीडी कोटा क्या है?

उत्तर: एसएओ 7/एस/84 के परिशिष्ट ई के अनुच्छेद 16 में पूर्व सेवाकर्मियों को डीडीक्यू के आवंटन हेतु वर्णित निर्देश नीचे पुनः उल्लिखित हैं:

“डीडी कोटा प्राथमिक रूप से सेवारत रक्षा कर्मियों हेतु है और पहले आओ पहले पाओ आधार पर इसका आवंटन किया जाता है। पूर्व सेवाकर्मियों हेतु डीडी कोटा की सुविधा का विस्तार सेवारत कर्मियों की मांग पूरी करने के बाद ही किया जा सकता है। रिक्त कोटा पूर्व सेवाकर्मियों हेतु पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध कराया जा सकता है। हालांकि एमसीओ रेलवे के माध्यम से उनके ठहरने की व्यवस्था के लिए हर संभव सहायता एवं लोकाचार निभाएंगे।

प्र. 4 सैनिक आरामगाह में पूर्व सेवा कर्मियों के ठहरने के अधिकार क्या हैं?

उत्तर: सेना आदेश 57/2001/क्यू एमओवीके अनुसार, सैनिक आरामगाह की सुविधा पूर्व सेवा कर्मियों को सिर्फ निम्न स्थितियों में स्वीकृत की जा सकती है:

- (1) जब पेंशन अपील बोर्ड के समक्ष पेश होने को बुलाया गया हो
- (2) जब मेडिकल बोर्ड के समक्ष पेश होने को बुलाया गया हो
- (3) जब आर्मी कमांड, क्षेत्रीय, उप-क्षेत्रीय मुख्यालयों में वरिष्ठ अफसर के साथ साक्षात्कार हेतु बुलाया गया हो।

प्र. 5 ट्रांजिट कैंप्स में पूर्व सेवा कर्मियों हेतु ठहरने के अधिकार क्या हैं?

उत्तर: शून्य।